



न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) नावां जिला डीडवाना-कुचामन

पीठासीन अधिकारी : सुश्री दिव्या सोनी, (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र अधीन धारा-136 भू. राजस्व अधिनियम 1956

- :: आदेश :: -

दिनांक : 28/11/2025

निम्न प्रार्थीगण द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के लिए प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 आर. एल.आर. एक्ट में प्रस्तुत कर प्रार्थी स्वयं का नाम, पिता का नाम, जाति, निवास स्थान एवं हिस्सा दुरुस्ती इत्यादि दुरुस्त करवाने का निवेदन किया गया। जिसके संलग्न दस्तावेज यथा-नकल जमाबंदी, जन आधार, आधार कार्ड, बैंक पास बुक, इत्यादि के आधार पर एवं मुताबिक रिपोर्ट संबंधित पटवारी हल्का, संबंधित भू.अ. निरीक्षक/तहसीलदार/नायब तहसीलदार की अभिशंषा पर राजस्व रिकॉर्ड में नाम शुद्ध/दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

प्रकरण संख्या	नाम प्रार्थी	ग्राम का नाम /पटवार हल्का	खाता संख्या	अशुद्ध नाम/प्रविष्टी	शुद्ध व दुरुस्त किये जाने वाला इन्द्राज
402 1	सोहनी पत्नी रामूराम	भांवता/भांवता	421	सोहनीदेवी पत्नी रामूराम	सोहनी पत्नी रामूराम
403 2	महेन्द्र कुमार पुत्र रामूराम	भांवता/भांवता	421	महेन्द्र पुत्र रामूराम	महेन्द्र कुमार पुत्र रामूराम
404 3	देवीलाल जाट पुत्र रामूराम	भांवता/भांवता	421	देवीलाल पुत्र रामूराम	देवीलाल जाट पुत्र रामूराम
405 4	दलाराम पुत्र दुलाराम	भांवता/भांवता	116	दल्लाराम पुत्र दुलाराम	दलाराम पुत्र दुलाराम
406 5	राजूराम पुत्र गणेशराम जाति-जाट	भांवता/भांवता	341	राजूराम पुत्र गणेशराम जाति-महाजन हिस्सा 11/35 व 1/32	राजूराम पुत्र गणेशराम जाति-जाट हिस्सा 387/1120

नोट - संबंधित खाता/खसरा नं. के रहन होने की स्थिति में संबंधित बैंक आदेशानुसार अपने रिकॉर्ड को अद्यतन करे। यह आदेश आज दिनांक 28/11/2025 को मेरे द्वारा मजमे आम सुनाया गया।

(दिव्या सोनी RAS)

उपखण्ड अधिकारी नावां

नावां (डीडवाना-कुचामन)

दिनांक : 28/11/2025

क्रमांक : राजस्व/कोर्ट/2025/

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार नावां/कुचामनसिटी/नायब तहसीलदार को भेजकर लेख है कि राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करे।
2. संबंधित प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी नावां

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

